तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **1– निगरानी/टीए/2602/2004/नागौर** **मूर्ति मंदिर महादेव जी बनाम तेजाराम** **2– निगरानी/टीए/6203/2004/नागौर** **मूर्ति मंदिर महादेव जी बनाम चेतनराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य उपस्थितः– श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक प्रार्थी श्री एस.पी.सिंह, अभिभाषक अप्रार्थी निर्णय दिनांक 11–9–2023 हस्तगत ये दोनों निगरानियाँ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के द्वारा अपील संख्या 26/2004 एवं 28/2004 में पारित एक समान निर्णय दिनांक 11–6–2004 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है । चूंकि दोनों प्रकरणों के तथ्य एवं निर्धारण योग्य कानूनी बिन्दु एक समान है । अतः इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाता है । निर्णय की हस्ताक्षरित प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जावे । 2– प्रकरण संख्या 2602/2004 के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा सहायक कलेक्टर, नागौर के समक्ष एक दावा खातेदारी घोषणा एवं दुरुस्ती रेकार्ड का अप्रार्थी के विरूद्व प्रस्तुत किया जिसके साथ एक आवदेन पत्र अन्तर्गत धारा 212 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर कथन किया कि खसरा नंबर 951 रकबा 123 बीघा 10 बिस्वा डोली किस्म बारानी जो साबिक खसरा नंबर 623 रकबा 127 बीघा 3 बिस्वा ग्राम गुढा भगवानदास में स्थित है, वह मंदिर श्री ठाकुरजी श्री मुरली मनोहर जी गुढा भगवानादास की माफी की डोली थी । अप्रार्थी संख्या 1तेजाराम मंदिर का पुजारी बांटे का हिस्सा करता था । सेट्लमेंट के दौरान मंदिर की भूमि को पट्टा प्राप्त कर लिया और मंदिर का नाम हटा दिया । मंदिर की भूमि नाबालिग है । मंदिर की भूमि को किसी और के नाम	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **1– निगरानी/टीए/2602/2004/नागौर मूर्ति मंदिर महादेव जी बनाम तेजाराम** **2– निगरानी/टीए/6203/2004/नागौर मूर्ति मंदिर महादेव जी बनाम चेतनराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दर्ज करने का अधिकार सेटलमेंट को नहीं है । प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिए अप्रार्थी को प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में दखलांदाजी नहीं करने हेतु पाबंद करना आवश्यक है । अतः धारा 212 के तीनो बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रकट होने से अप्रार्थी को पाबंद किया जावे । सहायक कलेक्टर, नागौर द्वारा धारा 212 के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय दिनांक 26–12–2003 पारित कर वाद के निर्णय तक 100 रूपये प्रतिबीघा के हिसाब से रकम जमा कराने के आदेश पारित कर तहसीलदार खींवसर को भूमि का कब्जा बहक सरकार लेकर रिसीवर नियुक्त करने का आदेश दिया । उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 11–6–2004 द्वारा स्वीकार कर सहायक कलेक्टर का आदेश दिनांक 26–12–2003 निरस्त कर दिया । उक्त निर्णय के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 3– प्रकरण संख्या 6203/2004 के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा सहायक कलेक्टर, नागौर के समक्ष एक दावा खातेदारी घोषणा एवं दुरूस्ती रेकार्ड का अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। जिसके साथ एक आवदेन पत्र अन्तर्गत धारा 212 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर कथन किया कि खसरा नंबर 247 रकबा 68 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 342 रकबा 17 बीघा 5 बिस्वा डोली किस्म बारानी जो साबिक खसरा नंबर 158 रकबा 66 बीघा 5 बिस्वा व खसरा नंबर 180/1 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा ग्राम गुढा भगवानदास में स्थित है। वह मंदिर श्री ठाकुरजी श्री मुरली मनोहर जी गुढा भगवानादास की माफी की डोली थी। अप्रार्थी संख्या 1शंकर राम मंदिर का पुजारी बांटे का हिस्सा करता था । सेटलमेंट के दौरान मंदिर की भूमि को पट्टा प्राप्त कर लिया और मंदिर का नाम हटा दिया । मंदिर की भूमि नाबालिग है । मंदिर की भूमि को किसी और के नाम दर्ज करने का अधिकार सेटलमेंट को नहीं है । प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में है	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **1– निगरानी/टीए/2602/2004/नागौर** **मूर्ति मंदिर महादेव जी बनाम तेजाराम** **2– निगरानी/टीए/6203/2004/नागौर** **मूर्ति मंदिर महादेव जी बनाम चेतनराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इसलिए अप्रार्थी को प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में दखलांदाजी नहीं करने हेतु पाबंद करना आवश्यक है । अतः धारा 212 के तीनो बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रकट होने से अप्रार्थी को पाबंद किया जावे । सहायक कलेक्टर, नागौर द्वारा धारा 212 के प्रार्थना-पत्र पर निर्णय दिनांक 26-12-2003 पारित कर वाद के निर्णय तक 100रूपये प्रतिबीघा के हिसाब से रकम जमा कराने के आदेश पारित कर तहसीलदार खींवसर को भूमि का कब्जा बहक सरकार लेकर रिसीवर नियुक्त करने का आदेश दिया । उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 11-6-2004 द्वारा स्वीकार कर सहायक कलेक्टर का आदेश दिनांक 26-12-2003 निरस्त कर दिया । उक्त निर्णय के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । उक्त दोनों निगरानियां राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-6-2004 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं । 4– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि सहायक कलेक्टर ने विवादित भूमि मंदिर की भूमि मानकर व अप्रार्थी संख्या 3 शंकरराम को पुजारी माना था एवं पुजारी द्वारा जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को विक्रय कर दिया जबकि पुजारी मंदिर का संरक्षक होता है। उसे मंदिर की भूमि पर अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । सहायक कलेक्टर द्वारा विधिवत रूप से धारा 212 का घटक मानकर 100 रूपये के हिसाब से प्रतिबीघा प्रतिफल जमा कराने के आदेश पारित किए । राजस्व अपील प्राधिकारी ने प्रार्थी की शाश्वता का ध्यान नहीं रखा। एवं सहायक कलेक्टर द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप कर मनमाने ढंग से अपील स्वीकार परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर दिया जो विधि विरूद्ध था । अतः निगरानी स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय निरस्त किया जावे एवं सहायक कलेक्टर का	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **1– निगरानी/टीए/2602/2004/नागौर** **मूर्ति मंदिर महादेव जी बनाम तेजाराम** **2– निगरानी/टीए/6203/2004/नागौर** **मूर्ति मंदिर महादेव जी बनाम चेतनराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निर्णय यथावत रखा जावे । उन्होंने अपने कथन के समर्थन में आर.बी.जे. 2008 पृष्ठ 628, आर.आर.डी. 2006 पृष्ठ 226, आर.आर.डी. 2001 पृष्ठ 474 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए । 5– विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस में तर्क दिया कि वादग्रस्त सम्पत्ति जागीर रिज्यूम के बाद सरकार में निहित होने से मंदिर की न होकर राजस्व रिकार्ड में जो परिवर्तन किया गया, सही था । अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि क्रय की गई है, जिसकी रजिस्ट्री भी प्रस्तुत की गई थी किन्तु विचारण न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं देकर धारा 212 का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर तहसीलदार को रिसीवर नियुक्त करने में त्रुटि कारित की थी। जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिक रूप से निरस्त कर अपील स्वीकार की है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । अतः निगरानी खारिज की जावे। 6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया । 7– पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि जमाबन्दी संवत 2014 से 2016 में खसरा नंबर 158, 180/1, 204, 549 डोली बनाम मंदिर श्री ठाकुरजी मुरली मनोहरजी वाके देह बएतमाम पुजारी तेजाराम पुत्र लच्छीराम साद राणावत बासी गाँव रापुजारी दर्ज है एवं कृषक के कालम में काश्त कब्जा पुजारी रामदास दर्ज है । तत्पश्चात जमाबन्दी संवत 2056–2059 में अप्रार्थी का नाम दर्ज है जिसका कोई आधार पत्रावली पर नहीं है। पुजारी द्वारा उक्त भूमि का विक्रय कर दिया । जबकि पुजारी को मंदिर की भूमि पर किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । अपर कलेक्टर, नागौर द्वारा इसी भूमि व मंदिर बाबत एक रेफरेन्स संख्या 28/85 उनवानी सरकार जरिए तहसीलदार, नागौर बनाम शंकरराम व तेजाराम के विरूद्ध अपनी अनुशंषा दिनांक 14–8–98 से प्रेषित किया है जिसके निर्णय के बारे में पत्रावली में किसी प्रकार का दस्तावेज संलग्न नहीं है । हस्तगत प्रकरण में सहायक कलेक्टर द्वारा धारा 212 का निस्तारण किया गया था। अधिकारों का विनिश्चय वाद के निर्णय से होना है ।	

<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

1– निगरानी/टीए/2602/2004/नागौर
मूर्ति मंदिर महादेव जी बनाम तेजाराम

2– निगरानी/टीए/6203/2004/नागौर
मूर्ति मंदिर महादेव जी बनाम चेतनराम</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td></td><td>सहायक कलेक्टर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26–12–2003 द्वारा राजस्व रिकार्ड एवं साक्ष्यों के परीक्षण के उपरान्त ही वाद के निर्णय तक 100 रूपये के हिसाब से प्रतिवर्ष रकम जमा कराने एवं प्राकृतिक उपजे के आदेश पारित किए थे । किन्तु राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11–6–2004 द्वारा सहायक कलेक्टर के आदेश को निरस्त कर दिया जो विधिसम्मत नहीं है । उक्त राशि को राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19–7–2004 द्वारा 100 रूपये के स्थान पर 75 रूपये प्रति बीघा प्रतिवर्ष के हिसाब से राशि जमा कराने के आदेश भी पारित किए हैं । पुजारी अथवा काश्तकार को मन्दिर की भूमि पर स्वयं को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं न ही वह बेचान कर सकता है। मन्दिर की भूमि पर कोई भी मूर्ति की ओर से काश्त करे, कब्जा सदैव मूर्ति मन्दिर का ही माना जावेगा ।

इस संबंध में आर.आर.डी.2001 पृष्ठ 474 उनवानी रामसिंह बालखान व अन्य बनाम राजस्व मण्डल व अन्य के पैरा नंबर 11, 17 व 19 में यह निम्न मत अभिनिर्धारित किया गया है–

“11. In view of the aforesaid provisions of law sub-tenant cannot acquire khatedari rights in land recorded in the name of idol under proviso to sec. 19(1) which stipulates that Pujari could not even make such claim because on account of Section 46 he as a sub-tenant could not acquire such rights derogatory to title of idol, a perpetual minor. Khatedari rights do not accrue in land belonging to a minor according to Section 46 of the Rajasthan Tenancy Act and this is now a settled law. The deity is, therefore, the khatedar of the disputed land. However, the petitioner being Shebait of the temple and at the best sub-tenant under the idol, Khatedari rights cannot accrue as the land was held by sub tenant only on the commencement of the Act. An idol being perpetual minor its sub-tenants cultivating land has no right to transfer rights in land. Thus under section 45(4) sub-tenants cannot transfer lands. Such transfers are unlawful and void. The vendees, held, no better than trespassers. A land belonging to idol who is minor and was managed by Pujaris given to another person for cultivation. Such cultivator is only a sub-tenant as contemplated by Section 46. Thus the Khatedari</td><td></td></tr>
</table>

rights in land of idol or temple cannot be acquired by any one who cultivates it as the sub-tenants.

17. Admittedly, the land in question belongs to the idol and idol is a perpetual minor in view of the provisions of section 46 which is managed by a pujari and is given to any person for cultivation; such cultivator is only subtenant as contemplated by Section 46 then the Khatedari rights in land of idol or temple cannot be acquired by any one who cultivates it as the sub-tenants. It is also well settled that the deity is the perpetual minor and being a perpetual minor the land in his name cannot be transferred and no khatedari rights could have accrued to such tenant.

19 I am also of the view that the learned Board of Revenue rightly interpreted the judgment of the High Court reported in 1993 (1) RLR 307: 1994 RRD Page 1 wherein it was held that the non-applicants have no right in the land belonging to the idol and therefore, the best remedy to protect the interest of the idol is to appoint receiver on the suit land as held in (17) 1993 RRD 643. Since it is undisputed fact that the disputed land is entered in the name of the temple Shri Gangaji Maharaj and the name of the non-applicant is entered being cultivator of the land no rights whatsoever would accrue to anybody in the land belonging to the idol who is a perpetual minor. The lands in the name of the temple are meant for generating resources for the upkeep and maintenance of the temple.

Therefore, looking to the aforesaid observations I find no good reason to interfere with the judgement of the learned Board of Revenue. The writ petition is accordingly, rejected.”

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ का निर्णय 1994 आर.आर.डी. पृष्ठ 1 ‘‘रामप्रताप व अन्य बनाम राजस्व मण्डल’’, आर.आर.डी. 1987 पृष्ठ 261 पर माननीय राजस्व मण्डल की वृहदपीठ एवं ए.आई.आर.2008(एनओसी) 2850 (राज.) एवं ए.आई.आर. 2007(एनओसी) 1742 (राज.) मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से यही विधिक स्थिति पुष्ट होती है।

इस प्रकार उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में पुजारी अथवा काश्तकार को मन्दिर की भूमि पर स्वयं को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं न ही वह बेचान कर सकता है। मन्दिर की भूमि पर कोई भी मूर्ति की ओर से काश्त करे, कब्जा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **1– निगरानी/टीए/2602/2004/नागौर** **मूर्ति मंदिर महादेव जी बनाम तेजाराम** **2– निगरानी/टीए/6203/2004/नागौर** **मूर्ति मंदिर महादेव जी बनाम चेतनराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सदैव मूर्ति मन्दिर का ही माना जावेगा । जो शाश्वत नाबालिग है। इस प्रकार विवादित भूमि जो मंदिर की है, के बाबत रेकार्ड में जो रद्दोबदल हुआ है, वह बिना किसी सक्षम आदेश के हुआ है जो विधिक प्रावधानों के विरुद्ध है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है । 8– उक्त विवेचन के आधार पर यह दोनों निगरानियां स्वीकार की जाती है । राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर का निर्णय दिनांक 11–6–2004 निरस्त किया जाता है । सहायक कलेक्टर, नागौर के निर्णय दिनांक 26–12–2003 यथावत रखा जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे । पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो । (डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर) सदस्य	